



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012022-232347
CG-DL-E-03012022-232347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5063]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943

No. 5063]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5469(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रा. रा. संख्या- 543 के 0 किमी. से 5.7 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 543 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	मध्य प्रदेश	बालाघाट	लालबर्वा	1 डोंगरिया

	अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी	NH543 के कि.मी. 0 से 5.7 तक			
--	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU-CHW/BALAGHAT-GONDIA/MP/BM/3(Aa)/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2021

S.O. 5469(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 5.7 of the NH543 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-543 in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Competent Authority (Land Acquisition) & Sub Divisional Officer (Revenue), Waraseoni	0KM To 5.7KM	MADHYA PRADESH	BALAGHAT	Lalbarra	1 Dongariya

[F. No. NHAI/PIU-CHW/BALAGHAT-GONDIA/MP/BM/3(Aa)/2021]

RAJESH GUPTA, Director